आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –21 / 2022

विजय कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
15.05.2023	यह वाद समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद स0–296 / 2019–20 में दिनांक–02.08.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटाड़ द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटाड़ के पत्रांक 55 दिनांक 26.09.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के ज्ञापांक 563 दिनांक 12.10.2018 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से निम्न अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी :– (i) शिकायत / निरीक्षण पुस्तिका नहीं रखना। (ii) सुचना पट्ट प्रदर्शित नहीं रखना। (iii) अगस्त का राशन ससमय न देकर 24 सितम्बर से देना एवं प्रति लाभूक 2 किलोग्राम राशन कटौती करना तथा राशि निर्धारित दर से ज्यादा लेना। (iv) जनप्रतिनिधि को उठाव की सूचना नहीं देना पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते	

WEB COPY NOT OFFICIAL

हुए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 57 दिनांक 15.01.2019 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4754/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 24.07.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में वाद सं0–296/2019–20 दायर किया गया। समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 02.08.2021 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) पुनरीक्षणकर्ता पर पूर्व में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है एवं इन्हें (पुनरीक्षणकर्ता) गँवई राजनीति के तहत फँसाया गया है।

(ii) जाँच के दिन पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया गया था। सारे उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता ससमय और उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण करते रहे है।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा हर माह खाद्यान्न के वितरण के समय जन प्रतिनिधि को सूचना दिया जाता था।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दुकान पर सूचना–पट्ट लगाया गया था लेकिन लगातार वर्षा के कारण सूचना–पट्ट खराब हो गया था और पुनरीक्षणकर्ता एक नया सूचना–पट्ट बनवाये थे और उसी दिन लगाने वाले थे।

(v) पुनरीक्षणकर्ता से मात्र एक गलती हुई है कि उन्होंने शिकायत/निरीक्षण पंजी नहीं खोला था। परंतु बाद में वे शिकायत/निरीक्षण पंजी भी खोल दिए थे।

(vi) जाँच दल द्वारा किसी जन प्रतिनिधि का बयान नहीं लिया गया है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि विक्रेता पर शिकायत/निरीक्षण पुस्तिका, सूचनापट्ट एवं मूल्य–सह–भंडार प्रर्दशन पट्ट नहीं रखने, खाद्यान्न का आपूर्ति ससमय नहीं करने, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने एवं निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेने आदि का गंभीर आरोप है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के जवाब को तर्कपूर्ण नहीं पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 57 दिनांक 15.01.2019 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है। अतएव पुनरीक्षणकर्ता का यह वाद खारिज होने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के दुकान के जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में वाद सं0–296/2019–20 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 02.08.2021 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर शिकायत/निरीक्षण पुस्तिका, सूचनापट्ट एवं मूल्य–सह–भंडार प्रर्दशन पट्ट नहीं रखने, खाद्यान्न का आपूर्ति ससमय नहीं करने, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने एवं निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेने

WEB COPY NOT OFFICIAL

का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i) में अंकित है कि ***"अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।"*** साथ ही कंडिका 14(viii) में अंकित है कि ***"निरीक्षी पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा जैसा की निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाय।"***

इस प्रकार खाद्यान्न का आपूर्ति ससमय नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देना एवं निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेना, सूचना–पट्ट प्रदर्शित नहीं करना एवं जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार–पंजी, वितरण–पंजी प्रस्तुत नहीं करने जैसा कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14 (i), (v), (viii) के प्रतिकूल है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL